उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण एवं अन्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों के लिए अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित कार्यकारी समूह (Working Group) की दिनांक 03.07.2024 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में संलग्न सूची के अनुसार कार्यकारी समूह के सदस्यगण/प्रतिनिधिगण द्वारा भौतिक रूप से उपस्थित होकर एवं अन्य सदस्यगण द्वारा ऑनलाईन वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिभाग किया गया।

2- बैठक में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 (सदस्य संयोजक) द्वारा उ0प्र0 राज्य राजधानी क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण अध्यादेश-2024 के उद्देश्य एवं इसके प्राविधानों के सम्बन्ध में संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण दिया गया। उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उ0प्र0 राज्य राजधानी क्षेत्र की क्षेत्रीय विकास योजना तैयार किये जाने हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार किये गये आर.एफ.पी. का प्रस्तुतीकरण किया गया। उक्त प्रस्तुतीकरण के पश्चात बैठक में विचार-विमर्श के उपरान्त निम्नवत् निर्णय लिये गये :-

(1) मा. मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार द्वारा दिये गये सुझाव के क्रम में उ0प्र0 राज्य राजधानी क्षेत्र के लिए तैयार होने वाली क्षेत्रीय विकास योजना का प्रारूप कार्य आवंटन के 01 वर्ष की अवधि में पूर्ण किया जाय। साथ ही अधिक से लोगों को क्षेत्रीय विकास योजना से जागरूक कराने हेतु उसका हिन्दी एवं अंग्रेजी वर्जन वेबसाइट पर अपलोड किया जाय। क्षेत्रीय विकास योजना तैयार किये जाने हेतु आर.एफ.पी.कम आर.एफ.क्यू. में कॉन्सोर्शियम को बढ़ावा दिया जाय, जिससे कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की विशेषज्ञ संस्थाएं निविदा प्रक्रिया में भागीदारी कर सकें और स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हो सके, तथा ग्लोबल निविदाएं आमंत्रित की जायें। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र में अधिक से अधिक निवेश को बढ़ावा दिये जाने हेतु निवेश आधारित मॉडल पर क्षेत्रीय विकास योजना तैयार किया जाय।

(कार्यवाही-लखनऊ विकास प्राधिकरण)

(2) उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र हेतु निविदा आमंत्रण की कार्यवाही में लखनऊ विकास प्राधिकरण को नोडल संस्था नामित करते हुए आर्थिक सलाहकार, मा0 मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये सुझावों को समायोजित कर निविदा के टी.ओ.आर. को यथा संशोधित किया जाय।

(कार्यवाही-लखनऊ विकास प्राधिकरण)

(3) उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा टेण्डर इवैल्यूएशन कमेटी के गठन का सुझाव दिया गया, जिसके सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में 'निविदा मूल्यांकन समिति' का गठन किया जाय, जिसमें मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित जनपदों के जिलाधिकारीगण के प्रतिनिधि, यू.पी. इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लि0 लखनऊ के प्रतिनिधि को सम्मिलित किया जाय।

(कार्यवाही-आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3)

(4) उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण एवं अन्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों के लिए अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित कार्यकारी समूह (Working Group) कार्यकारी समूह में यू.पी.सीडा, यूपीडा, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के प्रतिनिधियों एवं निदेशक, आवास बन्धु को भी सम्मिलित किया जाय।

(कार्यवाही-आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3)

(5) प्रस्तावित वाराणसी-प्रयागराज क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण सम्बन्धी कार्यवाहियों के लिए वाराणसी विकास प्राधिकरण को नोडल नामित किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि लखनऊ विकास

प्राधिकरण द्वारा टी.ओ.आर. की प्रति वाराणसी विकास प्राधिकरण को उपलब्ध करा दी जाए, जिसे वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा स्थानीय परिदृश्य के परिपेक्ष्य में Customize किया जाय। इस सम्बन्ध में वाराणसी-प्रयागराज आर्थिक क्षेत्र के लिए नीति आयोग द्वारा भी अध्ययन किया गया है तथा विविध स्तरो पर प्रस्तुतिकरण किया गया है। नीति आयोग की रिपोर्ट का भी संज्ञान लेते हुए कार्यवाही की जाय।

(कार्यवाही-लखनऊ एवं वाराणसी विकास प्राधिकरण)

(6) बैठक में डेलाइट के प्रतिनिधि से अपेक्षा की गयी कि प्रस्तावित एस.सी.आर. में स्थित जनपदो के जिलाधिकारियों से सम्पर्क स्थापित कर संबंधित जनपदो में शहर से निकटतम दूरी पर उपलब्ध लैण्ड बैंक का विवरण प्राप्त कर अगली बैठक में उपलब्ध करायें। साथ ही यह भी विवरण उपलब्ध कराया जाय कि इन स्थलों पर किस प्रकार की आर्थिक क्रियाएं/निवेश आ सकती हैं।

(कार्यवाही-डेलाइट)

(7) जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि क्षेत्रीय विकास योजना तैयार किये जाने के साथ-साथ महत्वपूर्ण पोटेन्शियल नोड को चिन्हित करते हुए निवेश हेतु भूमि जुटाव की कार्यवाही प्रभावी नीतिगत व्यवस्थाओं यथा समझौते, लैण्ड पूलिंग एवं भूमि अर्जन आदि माध्यम से की जाय, जिससे निवेशकों को उपलब्ध कराने के लिए अधिक से अधिक लैण्ड बैंक विकसित किया जा सके। यू.पी.एस.सी.आर. से आच्छादित प्रत्येक जनपद में न्यूनतम 20 हजार हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण का लक्ष्य रखा जाय।

(कार्यवाही-जिलाधिकारी, समस्त जनपद, उ.प्र. राज्य राजधानी क्षेत्र एवं वाराणसी-प्रयागराज क्षेत्र)

(8) क्षेत्रीय विकास योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे सेवा एवं कुटीर उद्योग जो पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव न डालते हों उनके स्थानीय स्तर (In-situ) पर विकास को प्रोत्साहित किये जाने हेतु आवश्यक नीतिगत उपाय किये जाए।

(कार्यवाही-लखनऊ विकास प्राधिकरण, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,)

(9) बैठक में यह निर्देश दिया गया कि आगामी 02 वर्षो के अन्दर यू.पी.एस.सी.आर. में 05 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य तैयार किया जाय। जिसके लिए यूपीडा, यू.पी.सीडा तथा उ0प्र0 राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा लैण्ड बैंक बनाया जाए।

(कार्यवाही-सम्बन्धित विकास प्राधिकरण,यू.पी.सीडा,यूपीडा, मे0 डेलाइट)

(10) कार्यकारी समूह की अगली बैठक दिनांक 22 जुलाई, 2024 को आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया।

(कार्यवाही-आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3)

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

उदय भानु त्रिपाठी
विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग अनुभाग-3
संख्या-आई/685314/2024-8-3099/495/2023
लखनऊ: दिनांक: 05 जुलाई, 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, श्री के.वी. राजू, आर्थिक सलाहकार मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, न्याय एवं विधि परामर्शी, वित्त

विभाग, नियोजन विभाग, लोक निर्माण विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, परिवहन विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, पंचायतीराज विभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।

3. सचिव, वित्त, नियोजन, लोक निर्माण एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।

4. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

5. आयुक्त ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।

6. निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।

7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) एवं जल निगम (नगरीय), उ0प्र0।

8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इन्वेस्ट यू.पी.।

9. विशेष सचिव/मिशन निदेशक, नगरीय परिवहन नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।

10. उपाध्यक्ष, संबंधित विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

11. जिलाधिकारी, संबंधित जनपद, उत्तर प्रदेश।

12. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0।

13. प्रधान मुख्य अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0।

14. नगर आयुक्त, संबंधित नगर निगम, उत्तर प्रदेश।

15. श्री मुरली थिमापुरम, कन्सलटेन्ट, डेलाइट इण्डिया।

16. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by
Arun Kumar
Date: 05-07-2024 18:53:33

(अरुण कुमार)
अनु सचिव

PUC-2894939/24

'उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण एवं अन्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों के लिए अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित कार्यकारी समूह' (Working Group) की उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ स्थित सभाकक्ष में दिनांक 03.07.2024 को पूर्वान्ह 10:00 बजे से 11:00 बजे तक आहूत बैठक की उपस्थिति।

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर	मोबाइल नं0
1				
2	के.वि. [illegible]	EA2CM	[signature]	9845415305.
3	[illegible]	CTCP	[signature]	9452153302
4	[illegible]	[illegible]	[signature]	[illegible]
5	Murali Mohan T	Director, Deloitte India	[signature]	8373910540.
6	P.K. Varma	SE Awas Vikas U.P.A.V.P	[signature]	879581012[illegible]
7	Rahul Yadav	SE Lucknow Circle UPAVP	[signature]	8795810139
8	Deep K Gupta	SE Vrindavan Circle UPAVP LKO	[signature]	879581008[illegible]
9	C. P. Gupta	CE (Bldg), P.W.D Lko	[signature]	9415671972
10	V.K. Agarwal	CE [illegible] Irrigation Deptt LKO	[signature]	6306570027
11	Abhay ~~Pratap~~ Srivastava	Under Secy	[signature]	[illegible]4413997
12	[illegible] Sah	TL-UP, LDA, Lko	[signature]	8756021169
13	Arvind Kr. Verma	Addl. Director Planning Deptt.	[signature]	9454468894
14				
15				

'उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण एवं अन्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों के लिए अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित कार्यकारी समूह' (Working Group) की उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ स्थित सभाकक्ष में दिनांक 03.07.2024 को पूर्वान्ह 10:00 बजे से 11:00 बजे तक आहूत बैठक की उपस्थिति।

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर	मोबाइल नं0
1				
2				
3				
4	Lokesh Nagar	Spl. Secretary. Law	[signature]	8979418127
5	Surya Pal Gangwar	DM LKO	[signature]	9415005000
6	AJAY JAIN	CDO LKO	Ajay	9454465441
7	Dr. Indramani Tripathi	VC, LDA	[signature]	976103197[illegible]
8	Pramod Gupta	CCF/Head, Forest Deptt	[signature]	7839435021
9	Harilal	SDO[illegible]	[signature]	9838016560
10	Lalitkumar	AMC, Lucknow	[signature]	8810721501
11	R.B. Ram	CE. UP Jal Nigam (Rural)	[signature]	9161519078
12	Saurabh Suman	SE UP Jal Nigam Rural	[signature]	9415434657
13	Deepak Singh	F.C., LDA प्रतिनिधि वित्त विभाग	[signature]	9415691089
14	Neeta Chaudhary	Joint Secretary	[signature]	9454411446
15	Rajendra Singh	SE. UP Jal Nigam Urban	[signature]	7983814665
16.	Chandni Seth	AE, PWD	[signature]	8173890077